**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेटआल्वा)** : (क) गत तीन वर्ष अर्थात् 1991 से 1993 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोध तथा विशेष अपराध डिवीजन ने क्रमश: 3006 तथा 687 मामले दर्ज किये। दर्ज मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

| | भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन | विशेष अपराध डिवीजन |
|---|---|---|
| 1991 | 956 | 224 |
| 1992 | 1025 | 206 |
| 1993 | 1025 | 257 |
| कुल : | 3006 | 687 |

इसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन तथा विशेष अपराध डिवीजन ने क्रमश: 3192 और 730 मामलों का निपटान किया। निपटान किये गये मामलों में पिछले वर्षों से अग्रणित मामले भी शामिल है। निपटान किये गये मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न है –

| | भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन | विशेष अपराध डिवीजन |
|---|---|---|
| 1991 | 963 | 219 |
| 1992 | 1132 | 221 |
| 1993 | 1097 | 290 |
| कुल: | 3192 | 730 |

(ख) वर्ष 1992 के दौरान, कुल 240 लोक सेवकों (जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हैं) को गैर-कानूनी परितोषण मांगते तथा लेते हुये रंगे हाथों पकड़ा गया था। इन 240 लोक सेवकों में से 59 राजपत्रित स्तर के तथा 181 अराजपत्रित स्तर के अधिकारी थे।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान, 505 मामलों को अदालत में परीक्षण के लिये भेजा गया था। इन 505 मामलों में से 363 मामले भ्रष्टाचार निरोध डिवीजन तथा 142 मामले विशेष अपराध डिवीजन के थे।

**इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया में प्रबंध**

5977. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया", नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां स्वागत कार्यालय में प्रशिक्षणार्थियों के मार्गदर्शन हेतु कोई प्रबंध नहीं है और न ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराये जाते हैं और उन्हें बेचों में बांटने के बाद भी दो प्रशिक्षणार्थियों को मिर्फ एक सेट कम्प्यूटर ही मिल पाता है तथा उन्हें पहले से ही संबंधित साहित्य उपलब्ध नहीं कराये जाते एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र गोदाम/गैरेज सा दीखता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा)** : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया, नई दिल्ली को पांच प्रशिक्षण

कार्यक्रम प्रायोजित किये । इनमें से चार कार्यक्रम कम्प्यूटरीकरण तथा एक वित्तीय प्रबंध से संबंधित था । कम्प्यटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले एक प्रतिभागी ने प्रश्न के भाग "ख" में उल्लिखित कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया । इसको देखते हुये तथा अन्य प्रमुख कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं को देखते हुये 1993-94 तथा 1994-95 के अनुवर्ती वर्षों में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस आफ इंडिया, नई दिल्ली को कोई भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आबंटित नहीं किया गया ।

**इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना**

5977. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इडिया नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाना मात्र उनकी उपस्थिति लगने पर निर्भर है न कि प्रशिक्षण के दौरान उन लोगों के वास्तविक रूप से उपस्थित रहने पर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उपस्थिति लगाने के लिये समुचित प्रबंध नहीं है और उनमें से जो वहां उपस्थित रहते हुए भी अपर्याप्त प्रबंध के कारण अपनी उपस्थिति नहीं लगा पाते हैं उन्हें मनमाने ढंग से प्रमाण-पत्र से वंचित कर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ; और

(घ) इस संपूर्ण प्रक्रिया को वास्तविकता से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमति मार्ग्रेट आल्वा** : (क) और (ख) इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटेंटस ऑफ इंडिया नई दिल्ली के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र का दिया जाना पाठ्यक्रम के दौरान उनका वास्तविक उपस्थिति पर निर्भर करता है। इंस्टीट्यूट द्वारा उन प्रतिभागियों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने पर पर्याप्त सावधानी बरती जाती है जो दिन के दौरान उपस्थिति लगा देते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम समन्वयक की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना छुट्टी लेने की अनुमति नहीं दी जाती। उपस्थिति दिन में दो बार ली जाती है। इंस्टीटयूट द्वारा अपनाई जा रही इस पद्धति से कार्य संतोषजनक चल रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मद्दे नज़र प्रश्न नहीं उठता।

**Implementation of Mandal Commission recommendations**

5979. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat is the first State in the country which has accepted the Supreme Court's verdict on Mandal Commission recommendations providing reservation in Government jobs for Backward communities.

(b) whether the State Government has also provided 17 per cent reservation in professional institutions such as Engineering and Medical Colleges;

(c) whether the State Government has also started implementing the said scheme from the 1st January, 1994;

(d) if so, the names of other States which have fully accepted the Mandal Commission recommendations; and

(e) whether any concrete information from State Governments has been received, if so, the details there. of?